



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2016, शनिवार/अग्रहायण 13—अग्रहायण 19, 1938

No. 29] NEW DELHI, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2016, SATURDAY/AGRAHAYANA 13—AGRAHAYANA 19, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2016

का.नि.आ. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा रक्षा मंत्रालय सलाहकार (समन्वय), भारतीय दूतावास, मास्को भर्ती नियम, 2012 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. इन नियमों को रक्षा मंत्रालय, सलाहकार (समन्वय), भारतीय दूतावास, मास्को, भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाए।
2. वे शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे।
3. रक्षा मंत्रालय सलाहकार (समन्वय), भारतीय दूतावास, मास्को, भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 की अनुसूची में :—

(क) कॉलम (4) के शीर्षक के लिए, निम्नलिखित से प्रतिस्थापन किया जाए, अर्थात् :-

"वेतन मेट्रिक्स में स्तर"

(ख) कॉलम (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापन किया जाएगा, अर्थात् :-

"118500 रुपए- 214100 रुपए के वेतन मेट्रिक्स में स्तर 13"

(ग) नोट 2 के लिए, कॉलम (11) के अंतर्गत, निम्नलिखित नोट से प्रतिस्थापन किया जाए, अर्थात् :—

"नोट-2 प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 (वह तारीख जिससे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना दी गई) से पहले नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दी गई वेतन मेट्रिक्स में तदनुरूपी स्तर पर की गई सेवा माना जाए, सिवाए, उन मामलों के जिनमें एक या अधिक संशोधन पूर्व वेतनमान का विलयन हुआ हो और जहां यह लाभ ऐसे पदों को ही दिया जाएगा जिनके लिए किसी अपग्रेडेशन के बिना वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।"

[फा. सं. 48013/1/2010-रक्षा (स्था. I/गुप- I)]

प्रवीन डुडेजा, अवर सचिव

**पाद टिप्पणी :** मूल नियम दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड-IV में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 108 दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

### MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 6th December, 2016

**S.R.O. 52.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Counsellor (Coordination), Embassy of India, Moscow Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. These rules may be called the Ministry of Defence, Counsellor (Coordination), Embassy of India, Moscow, Recruitment (Amendment) Rules, 2016.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Schedule to the Ministry of Defence, Counsellor (Coordination), Embassy of India, Moscow, Recruitment Rules, 2012,-

(a) for the Heading of column (4), the following shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix”

(b) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

“Level 13 in the Pay Matrix of Rs. 118500—Rs. 214100”

(c) under column (11), for note 2, the following note shall be substituted, namely:-

“**Note.-2** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 (The date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay and where this benefit will extend only for the posts for which pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.”

[F. No. 48013/1/2010-D(Estt.I/Gp.I)]

PARVEEN DUDEJA, Under Secy.

**Foot Note :** The Principal rules were published vide Notification number S.R.O. 108, dated 3rd December, 2012 in the Gazette of India, Part-II, Section-IV, dated the 22nd December, 2012.

### रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2016

**का.नि.आ. 53.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

### 2. रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम, 1979, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में- नियम 8 के उप-नियम (2) के खंड (ख) में :-

[क] उप-खंड [i क], [i ख], [i ग] और [i घ] के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

(i) “अनुसूची 1ख में यथाविनिर्दिष्ट “आंतरिक छानबीन समिति (प्रारंभिक) नियम 8 के उप-नियम(2) के खंड (क) में अधिकथित न्यूनतम स्थानिक (रेजिडेंसी) अवधि के पूरा होने पर प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिक ‘एफ’ की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगी और आंतरिक छानबीन समिति (प्रारंभिक) आंतरिक छानबीन समिति (मुख्य) द्वारा विचार करने तथा वैज्ञानिक ‘एफ’ और वैज्ञानिक ‘जी’ को उनके संगत कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में ग्रेडिंग के मूल्यांकन के बाद अंक प्रदान करने हेतु वैज्ञानिक ‘एफ’ और वैज्ञानिक ‘जी’ की अर्हता विनिश्चित करने के लिए अपने मानदंड विकसित करेगी।

(ix) अनुसूची 1ख में यथाविनिर्दिष्ट आंतरिक छानबीन समिति (मुख्य) आंतरिक छानबीन समिति (प्रारंभिक) द्वारा सिफारिश किए गए वैज्ञानिक ‘एफ’ और वैज्ञानिक ‘जी’ के साथ परस्पर बातचीत करेगी तथा कार्यात्मक सक्षमता, कार्य उत्पाद और वैयक्तिक गुणों के मानदंड के आधार पर आंतरिक छानबीन समिति (मुख्य) प्रत्येक वैज्ञानिक का अगले उच्चतर रैंक में प्रोन्नति करने के लिए मूल्यांकन करेगी तथा उन्हें ग्रेड देगी और तत्पश्चात् आंतरिक छानबीन समिति (मुख्य) एक सूची तैयार करेगी और इसे विचारार्थ तथा सिफारिश हेतु पिअर समिति को प्रस्तुत करेगी” ;

(ख) उप-खंड [ii], [iii] और [iv] के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“[iii] अनुसूची 1घ में यथाविनिर्दिष्ट पिअर समिति सूची के प्रत्येक वैज्ञानिक के औचित्य का मूल्यांकन करेगी और उनकी योग्यता, उपलब्धि, आविष्कार, नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन संबंधी गुण आदि; को ध्यान में रखकर समिति उन वैज्ञानिकों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगी जो वैज्ञानिक ‘जी’ और वैज्ञानिक ‘एच’ से अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं”;

(ग) उप नियम (2) के खंड (ड) का लोप किया जाएगा –

### 3. उक्त नियमों में,

(क) अनुसूची 1ख के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को रखा जाएगा, अर्थात् :-

#### “अनुसूची 1(ख)

#### [नियम 8 (2) देखें]

वैज्ञानिक ‘एफ’ की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए आंतरिक छानबीन समिति (प्रारंभिक) तथा वैज्ञानिक ‘एफ’ से परस्पर बातचीत करने के लिए आंतरिक छानबीन समिति (मुख्य)

#### आंतरिक छानबीन समिति (प्रारंभिक)

- (i) अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा एक विशिष्ट वैज्ञानिक नामनिर्दिष्ट किया जाएगा —अध्यक्ष
- (ii) अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ऐसे दो वैज्ञानिक नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो वैज्ञानिक ‘एच’ से नीचे रैंक के न हों — सदस्य

#### आंतरिक छानबीन समिति (मुख्य)

- (i) सचिव, रक्षा विभाग (अनुसंधान और विकास) या उनके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति जो विशिष्ट वैज्ञानिक के स्तर से नीचे के न हों —अध्यक्ष
- (ii) अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा नामनिर्दिष्ट दो वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'एच' के स्तर से नीचे के न हों —सदस्य
- (iii) अध्यक्ष, भर्ती तथा मूल्यांकन केन्द्र द्वारा अकादमिक संस्थानों में, अनुसंधान और विकास संगठन, उद्योगों या किसी खास विषय या क्षेत्र के विशेषज्ञों में से नामनिर्दिष्ट दो बाहरी सदस्य (एक विषय विशेषज्ञ और एक प्रबंधन विशेषज्ञ) —सदस्य

वैज्ञानिक 'जी' की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की छानबीन करने के लिए आंतरिक छानबीन समिति (प्रारंभिक) तथा वैज्ञानिक 'जी' के साथ परस्पर बातचीत के लिए आंतरिक छानबीन समिति (मुख्य)

#### आंतरिक छानबीन समिति (प्रारंभिक)

- (i) सचिव, रक्षा तथा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा एक विशिष्ट वैज्ञानिक नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे — अध्यक्ष
- (ii) मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास (मानव संसाधन), रक्षा अनुसंधान और विकास —सदस्य
- (iii) निदेशक, कार्मिक निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग —सचिव (गैर-सदस्य)

#### आंतरिक छानबीन समिति (मुख्य)

- (i) सचिव, रक्षा विभाग (अनुसंधान और विकास) या उनके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति जो विशिष्ट वैज्ञानिक के स्तर से नीचे के न हों — अध्यक्ष
- (ii) सचिव, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन ऐसे वैज्ञानिक जो 'विशिष्ट वैज्ञानिक' के स्तर से नीचे के न हों — सदस्य

**टिप्पण:** अध्यक्ष को छोड़कर समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से आंतरिक छानबीन समिति (प्रारंभिक) और आंतरिक छानबीन समिति (मुख्य) की कार्यवाहियां अमान्य नहीं होंगी”;

(ख) अनुसूची 1(घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

#### “अनुसूची 1घ

#### [नियम 8(2) देखें]

वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी' की अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए औचित्य का मूल्यांकन करने तथा रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) की नियुक्ति के लिए औचित्य मूल्यांकन करने के लिए पिर समिति:—

- (i) अध्यक्ष, भर्ती और मूल्यांकन केन्द्र (आरएसी), रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग —अध्यक्ष
- (ii) सचिव, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग —सदस्य
- (iii) सचिव, रक्षा विभाग (अनुसंधान तथा विकास) के परामर्श से केन्द्रीय सरकार के अन्य वैज्ञानिक विभागों से किन्हीं दो सचिवों को नामनिर्दिष्ट करेंगे —सदस्य

- (iv) अध्यक्ष द्वारा किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक या प्रबंधन विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा —सदस्य
- (v) स्थापना अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग या उसके प्रतिनिधि —सदस्य
- (vi) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के अध्यक्ष द्वारा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के एक विशिष्ट वैज्ञानिक को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा —सदस्य

- टिप्पणी:** 1. अध्यक्ष को छोड़कर समकक्ष समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से समकक्ष समिति की कार्यवाहियां अमान्य नहीं होंगी।
2. विशिष्ट वैज्ञानिक का ग्रेड प्रदान करने के लिए समकक्ष समिति में उपर्युक्त (i) से (v) यथा सूचीबद्ध शामिल होंगे।”

[फा. सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/मूल्यांकन बोर्ड/आरआर/सी/पी/12]

हर्षा रानी, अवर सचिव

**टिप्पणी:** रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. 8 तारीख 30 दिसंबर, 1978 द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात का.नि.आ. 307, तारीख 10 अक्तूबर, 1980, का.नि.आ. 196 तारीख 2 अगस्त, 1982, का.नि.आ. 159, तारीख 6 मई, 1983, का.नि.आ. 176, तारीख 7 अगस्त, 1984, का.नि.आ. 228, तारीख 13 नवंबर, 1984, का.नि.आ. 170, तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186, तारीख 2 अगस्त, 1985 का.नि.आ. 228, तारीख 6 जून, 1986, का.नि.आ. 158, तारीख 4 मई, 1987, का.नि.आ. 328, तारीख 25 सितंबर, 1987, का.नि.आ. 11-ई, तारीख 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ. 1, तारीख 4 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33, तारीख 17 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 5 मार्च, 1991, का.नि.आ. 146, तारीख 4 जुलाई, 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 24 मार्च, 1992, का.नि.आ. 125, तारीख 29 मई 1992, का.नि.आ. 157 तारीख 26 अगस्त 1994, का.नि.आ. 34, तारीख 8 मार्च, 1996, का.नि.आ. 33, तारीख 2 फरवरी 1998, का.नि.आ. 100 तारीख 30 जुलाई, 1998, का.नि.आ. 119, तारीख 09 जुलाई, 1999, का.नि.आ. 51, तारीख 27 मार्च, 2003, का.नि.आ.179, तारीख नवंबर, 2003, का.नि.आ. 35, 03 फरवरी, 2006, का.नि.आ. 52, तारीख 22 सितंबर, 2007, का.नि.आ. 62, तारीख 29 जून, 2008, का.नि.आ. 83 तारीख 5 अक्तूबर, 2008, का.नि.आ. 36, तारीख 9 मई, 2011, का.नि.आ. 21, तारीख 23 मार्च 2012, का.नि.आ. 11 तारीख 20 दिसंबर 2013 तथा का.नि.आ. 33 तारीख 22 अप्रैल 2014 द्वारा संशोधन किया गया।

**(Department of Defence Research and Development)**

New Delhi, the 5th December, 2016

**S.R.O. 53.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely:—

**1. Short title and commencement.—**

- (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979 (hereinafter referred to as the said rules),**

in rule 8, in sub-rule (2), in clause (b),

- (a) for sub-clauses (ia), (ib), (ic) and (id), the following sub-clauses shall be substituted, namely :-
- (ia) “The Internal Screening Committee (Preliminary) as specified in Schedule 1B shall evaluate performance appraisal reports of Scientist ‘F’ for promotion on completion of minimum residency period as laid down in clause (a) of sub-rule(2) of rule 8 and the Internal Screening Committee (Preliminary) shall evolve its own criteria for deciding the eligibility of

Scientist 'F' and Scientist 'G' for consideration by Internal Screening Committee (Main) and award marks to Scientist 'F' and Scientist 'G' after evaluation of grading in their respective performance appraisal reports.

(ib) The Internal Screening Committee (Main) as specified in Schedule 1B shall interact with Scientist 'F' and Scientist 'G' recommended by the Internal Screening Committee (Preliminary) and based on the criteria of functional competency, work output and personal attributes, the Internal Screening Committee (Main) shall assess each Scientist for promotion to the next higher rank and grade them and thereafter the Internal Screening Committee (Main) shall prepare a list and submit it to the Peer Committee for consideration and recommendation.”;

(b) for sub clauses (ii), (iii) and (iv), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(ii) A Peer Committee as specified in Schedule 1D shall assess the suitability of each Scientist in the list and after taking into consideration their merit, achievement, innovation, leadership, managerial qualities etc, shall make recommendation to the Central Government in respect of Scientists, who are adjudged suitable for promotion to the next higher grade of Scientist 'G' and Scientist 'H' ”;

(c) clause (e) of sub rule (2) shall be omitted

3 In the said rules,

(a) for Schedule 1B, the following Schedule shall be substituted, namely:-

**“SCHEDULE 1B**

**[See rule 8(2)]**

The Internal Screening Committee (Preliminary) to review performance Appraisal Reports of Scientist 'F', and Internal Screening Committee (Main) for interaction with Scientist 'F'.

**Internal Screening Committee (Preliminary)**

- |   |              |
|---|--------------|
| (i) A Distinguished Scientist to be nominated by the Chairman, Defence Research and Development Organisation                            | —Chairperson |
| (ii) Two Scientists not below the level of Scientist 'H' to be nominated by the Chairman, Defence Research and Development Organisation | —Member      |

**Internal Screening Committee (Main)**

- |  |              |
|--|--------------|
| (i) Secretary, Department of Defence (Research and Development) or his nominee not below the level of Distinguished Scientists   | —Chairperson |
| (ii) Two Scientists not below the level of Scientist 'H' to be nominated by the Chairman, Defence Research and Development Organisation  | —Member      |
| (iii) Two external members (one subject Expert and one Management Specialist) to be nominated by the Chairman, Recruitment and Assessment Centre from Academic Institutions, Research and Development Organization, Industries or Specialists in particular discipline or field. | —Member      |

The Internal Screening Committee (Preliminary) to screen Annual Performance Appraisal Reports of Scientist 'G' and Internal Screening Committee (Main) for interaction with Scientist 'G'

**Internal Screening Committee (Preliminary)**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| (i) A Distinguished Scientist to be nominated by the Secretary, Department of Defence and Research and Development | —Chairperson               |
| (ii) Chief Controller, Research and Development (Human Resource), Department of Defence Research and Development   | —Member                    |
| (iii) Director, Directorate of Personnel, Department of Defence Research and Development.                          | —Secretary<br>(Non-member) |

**Internal Screening Committee (Main)**

- (i) Secretary, Department of Defence (Research and Development) or his nominee not below the level of Distinguished Scientists —Chairperson
- (ii) Three Scientists not below the level of “Distinguished Scientist” nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development” —Member

**Note:** The absence of any member of the Committee other than the Chairperson shall not invalidate the proceedings of the Internal Screening Committee (Preliminary) and Internal Screening Committee (Main).”;

**(b) for Schedule 1D, the following shall be substituted, namely:-**

**“SCHEDULE 1D**

**[See rule 8(2)]**

The peer Committee for assessing suitability of Scientist ‘F’ and Scientist ‘G’ for promotion to the next higher grade and for assessing suitability for appointment of Scientist ‘H’ (Outstanding Scientist) in Defence Research and Development Service.

- (i) Chairman, Recruitment and Assessment Centre (RAC), Department of Defence Research and development —Chairperson
- (ii) Secretary, Department of Defence Research and Development- —Member
- (iii) Any two Secretaries from other Scientific Departments of the Central Govt to be nominated by the Chairperson in consultation with the Secretary, Department of Defence (Research and Development) —Member
- (iv) An Eminent Scientist or Management specialist to be nominated by the Chairperson —Member
- (v) Establishment officer, Department of Personnel and Training or his representative. —Member
- (vi) One Distinguished Scientist of Defence Research and Development Organisation to be nominated by the Chairman Defence Research and Development Organisation —Member

**Note: 1** The absence of any member of the Peer Committee other than the Chairperson shall not invalidate the proceedings of the Peer Committee.

**2.** For conferring the grade of Distinguished Scientist, the Peer Committee shall comprise as listed (i) to (v) above.”

[F. No. DHRD/76205/DRDS/ASSESSMENT BOARD/RRs/C/P/12]

HARSHA RANI, Under Secy.

**Note :** The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part-II, Section 4, vide numbers S.R.O. 8, dated the 30th December 1978, and subsequently amended vide S.R.O. 307, dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196, dated 2nd August, 1982, S.R.O. 159, dated the 6th May, 1983, S.R.O. 176, dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228, dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170, dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186, dated 2nd August, 1985, S.R.O. 228, dated 6th June, 1986, S.R.O. 158, dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328, dated the 25th Sep 1987, S.R.O. 11-E, dated the 10th August 1990, S.R.O. 1, dated the 4th January 1991, S.R.O. 33, dated the 17th January 1991, S.R.O. 74, dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146, dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74, dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125, dated the 29th May 1992, S.R.O. 157, dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34, dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33, dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100, dated the 30th July, 1998, S.R.O. 119, dated the 09th July, 1999, S.R.O. 51, dated the 27th March 2003, S.R.O. 179, dated the 13th November, 2003, S.R.O. 35, of the 03rd February, 2006, S.R.O. 52, dated the 22nd September 2007, S.R.O. 62, dated the 29th June, 2008, S.R.O. 83, dated the 5th October 2008, S.R.O. 36, dated the 9th May 2011, S.R.O. 21, dated the 23rd March 2012, S.R.O. 11, dated the 20 Dec 2013 and S.R.O. 33, dated the 22nd April 2014.

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2016

**का.नि.आ. 54.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, सिविलियन सुरक्षा काडर (समूह “क” और “ख”) पद भर्ती नियम 2000 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन विभाग में सिविलियन सुरक्षा काडर (समूह “क” और “ख”) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सिविलियन सुरक्षा काडर (समूह “क” और “ख”) पद भर्ती (संशोधन) नियम 2016, है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, सिविलियन सुरक्षा काडर (समूह “क” और “ख”) पद भर्ती नियम, 2000 के पद सिविलियन सुरक्षा अधिकारी-II जिसका वर्तमान पदनाम ज्येष्ठ सुरक्षा अधिकारी है, के स्तंभ 5 में “चयन-सह-ज्येष्ठता” शब्दों के स्थान पर “चयन” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. मा.सं.वि.नि./87661/सुरक्षा अधिकारी/भ.नि./सी/पी/02]

हर्षा रानी, अवर सचिव

**पाद टिप्पण :** मूल नियम- भारत के राजपत्र भाग-II खंड-4 में का.नि.आ. 298, तारीख 30 दिसम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए

New Delhi, the 16th November, 2016

**S.R.O. 54.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence Civilian Security Cadre (Group ‘A’ and Group ‘B’) post Recruitment Rules, 2000 namely:-

1. (1) **Short title and extent.**—These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence Civilian Security Cadre ( Group ‘A’ and Group ‘B’) post Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence (Group ‘A’ and Group ‘B’) post Recruitment Rules, 2000, against the post of Civilian Security Officer-II, now re-designated as Sr. Security Officer; in column (5), for the words “selection-cum-seniority”, the word “Selection” shall be substituted.

[F. No. DHRD/87661/SECURITY OFFICER/RRs/C/P/02]

HARSHA RANI, Under Secy.

**Foot Note:** The Principal rules were published in the Gazette of India PART-II, Section -4 vide SRO 298, dated the 30th December, 2000.